

#### असाधारण

## **EXTRAORDINARY**

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

## प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

**सं**. 2451] No. 2451] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 17, 2015/ कार्तिक 26, 1937

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 17, 2015/KARTIKA 26, 1937

# पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 नवम्बर, 2015

का.आ. 3103(अ).—िनम्निलिखित प्रारूप अधिसूचना, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है; और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आक्षेप या सुझाव देने में हितबद्ध है, इस प्रकार विनिर्दिष्ट अविध के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए, आक्षेप या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 या ई-मेल पते: esz-mef@nic.in पर लिखित रूप में भेज सकेगा।

# प्रारूप अधिसूचना

हरिके वन्यजीव अभयारण्य, पंजाब राज्य के तरनतारण जिले के उत्तरी भारत का सबसे बड़ी दलदली जमीन है और यह दलदली जमीन सह वन्यजीव अभयारण्य, अमृतसर शहर से लगभग 55 किलोमीटर दूर स्थित है जिसका क्षेत्रफल 86 वर्ग किलोमीटर है और तरनतारण, फिरोजपुर और कपूरथला जिलों में आता है।

और इस अभयारण्य को 1990 में रामसर स्थल की प्रास्थिति भी दी गई है।

4819 GI/2015 (1)

और उपरोक्त विनिर्दिष्ट संरक्षित क्षेत्र अधिकांशत: 14 जलीय टेक्सा और 24 स्थलीय प्रजातियों से युक्त जल आधारित क्षेत्र है और मुख्य जल आधारित प्रजातियां नाजस, हाइड्रिला, इपोमोई, अजोला एसपी, पोटामेगेटन, वालीसनरिया इत्यादि है।

और, क्षेत्र को मछिलियों के 16 टेक्सा (72 प्रजातियां), मेढक और टोड के 6 टेक्सा, कछुआ (प्राकृतिक टेस्टूडायनल कछुओं के संरक्षण के लिए अन्तरराष्ट्रीय संघ है) की 7 प्रजातियां, स्तनपायियों (जिसके अन्तर्गत शांत भारतीय ओटर और सिंधु नदी डालिफन हैं) की 13 प्रजातियां, पिक्षयों की 391 प्रजातियां (59 प्रतिशत प्रवासी) और सांपों की 4 प्रजातियों के पोषण के लिए जाना जाता है।

और, इस क्षेत्र का परिरक्षण और संरक्षण करना आवश्यक है तथा जिसके विस्तार और सीमाओं को इस अधिसूचना के पैरा 1 में हरिके वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर पारिस्थितकीय संवेदी जोन के रुप में विनिर्दिष्ट किया गया है और पर्यावरण की दृष्टि से उद्योगों या उद्योगों के वर्ग को तथा उनकी संक्रियाओं और प्रक्रियाओं को उक्त पारिस्थितकीय संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1), उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उप धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पंजाब राज्य में हरिके वन्यजीव के चारों ओर की सीमा से 100 मीटर तक के विस्तारित क्षेत्र को पंत वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकीय संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकीय संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :--

- 1. **पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं**--(1) पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार लगभग 393.44 हेक्टेयर क्षेत्र को मिलाकर हरिके वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से 100 मीटर तक क्षेत्र का है।
- (2) पारिस्थितिक संवेदी जोन पूर्व की ओर  $31^{\circ}9'13.974$  उ. अक्षांश और देशान्तर  $75^{\circ}2'25.773"$  पूर्व सीमित है (उपाबंध-1 नक्शा का बिन्दु सं.10); पश्चिम की ओर अक्षांश  $31^{\circ}11'25.659$  और देशान्तर  $74^{\circ}58'59.485$  पूर्व (उपाबंध-1 नक्शा का बिन्दु सं.4); उत्तर की ओर अक्षांश  $31^{\circ}12'38.538$  उ. और देशान्तर  $75^{\circ}1'11.464$  पू. (उपाबंध-1 नक्शा का बिन्दु सं. 3) और दक्षिण की ओर अक्षांश  $31^{\circ}6'46.514$  उ. और देशान्तर  $75^{\circ}0'34.031$  पू. (उपाबंध -1 नक्शा का बिन्दु सं. 7) तक सीमित है।
- (3) पारिस्थितिक संवेदी जोन सीमा का मानचित्र इसके अक्षांश और देशान्तर के साथ **उपाबंध I** पर उपाबद्ध है ।
- (4) ऐसे गांव जिसका क्षेत्र या जिसका भाग पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर आता है इस प्रकार है, रुकने वाला, भूतिवाला, मौजगढ़, माखू, रसूलपुर, मन्दसिंहपुरा, गुड्डे, जांड, हरिके और किरियन ।
- 2. पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रयोजनों के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से, और इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए आंचलिक महायोजना तैयार करेगी।
  - (2) आचंलिक महायोजना का अनुमोदन राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा।

- (3) पारिस्थितिकीय संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना राज्य सरकार द्वारा ऐसी रीति जैसा इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट है और सुसंगत केन्द्रीय और राज्य विधियों तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों, यदि कोई हो, के अनुरूप भी तैयार की जाएगी।
- (4) आंचलिक महायोजना सभी संबद्ध राज्य विभागों के साथ परामर्श से पर्यावरणीय और पारिस्थितिकीय विचारणों को उसमें एकीकृत करने के लिए तैयार की जाएगी, अर्थात:--
  - (i) पर्यावरण ;
  - (ii) वन ;
  - (iii) नगर विकास ;
  - (iv) पर्यटन :
  - (v) नगरपालिक;
  - (vi) राजस्व ;
  - (vii) कृषि ; और
  - (viii) पंजाब राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
- (5) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचनात्मक और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो और आंचलिक महायोजना सभी अवसंरचना और कार्यकलापों में दक्षता और पारिस्थितिकीय अनुकूलता का संवर्द्धन करेगी।
- (6) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलूओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे।
- (7) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, आर्किडों, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यकंन करेगी।
- (8) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिक संवेदी जोन में विकास को विनियमित करेगी जिससे कि स्थानीय समुदायों के पारिस्थितिक जन्य विकास और जीविका को सुनिश्चित किया जा सके।
- 3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय--** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थातु:-
- (1) **भू-उपयोग** पारिस्थितिक संवेदी जोन में आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए हैं वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक और औद्योगिक संबद्घ विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा :

परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कृषि भूमि का संपरिवर्तन के अधीन मानीटरी समिति की सिफारिश पर और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, स्थानीय निवासियों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए और पैरा 4 की सारणी के स्तंभ (2) के अधीन मद सं0 24, 28, 30 और 35 के सामने सूचीबद्ध क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात होंगे, अर्थात् :-

(i) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

- (ii) पारिस्थितिकीय अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों के लिए पर्यटकों के अस्थायी आवासन के लिए पारिस्थितिकीय अनुकूल आरामगाह जैसे टेंट, लकड़ी के मकान आदि ;
- (iii) वर्षा जल संचय, और
- (iv) कुटीर उद्योग, जिसके अंतर्गत ग्रामीण दस्तकार हैं।

परंतु यह और कि राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन और संविधान के अनुच्छेद 244 तथा तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात कोई त्रुटि मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार संशोधित होगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को सूचना देनी होगी।

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त त्रुटि का संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा।

परंतु यह और भी कि जिससे हरित क्षेत्र में जैसे वन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र आदि में कोई पारिणामिक कटौती नहीं होगी और अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे।

- (2) **प्राकृतिक स्रोतों** -- आचंलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक स्रोतों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और पुनर्नवीकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या उनके निकट विकास क्रियाकलाप प्रतिषिद्ध करने के लिए ऐसी रीति से मार्गनिर्देश तैयार किए जाएंगे।
- (3) **पर्यटन** (क) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप, जो आंचलिक महायोजना का भाग रूप में निम्नलिखित रूप में होंगे।
- (ख) पर्यटन महायोजना पर्यटन विभाग, बिहार सरकार द्वारा राजस्व और वन विभाग, पंजाब सरकार के परामर्श से तैयार होगी।
  - (ग) पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नलिखित के अधीन विनियमित होंगे, अर्थात् :-
    - (i) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी (समय-समय पर यथा संशोधित) मार्गनिदेशों के अनुसार होगा जिसमें पारिस्थितिक पर्यटन, पारिस्थितिक शिक्षा और पारिस्थितिक विकास को महत्व दिया जाएगा और पारिस्थितिक संवेदी जोन की वहन क्षमता के अध्ययन पर आधारित होगा;
    - (ii) पारिस्थितिकीय संवेदी जोन के भीतर होटल और विश्राम स्थल अनुज्ञात नहीं होंगे।
    - (iii) आंचिलक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकारियों द्वारा अनुज्ञात किया होगा।
- (4) **नैसर्गिक विरासत --** पारिस्थितिक संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण,

अश्वरोहण, प्रपातों आदि की पहचान की जाएगी और उन्हें संरक्षित किया जाएगा तथा उनकी सुरक्षा और संरक्षा के लिए इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर, उपयुक्त योजना बनाएगी और ऐसी योजना जोनल मास्टर प्लान का भाग होगा।

- (5) **मानव निर्मित विरासत स्थलों -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान करनी होगी और इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह माह के भीतर उनके संरक्षण की योजनाएं तैयार करनी होगी तथा आंचलिक महायोजना में सम्मिलित की जाएगी।
- (6) **ध्विन प्रदूषण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में ध्विन प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा।
- (7) **वायु प्रदूषण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा।
- (8) **बहिस्नाव का निस्सारण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिस्नाव का निस्सारण जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार होगा।
  - (9) ठोस अपशिष्ट -- ठोस अपशिष्टों का निपटान निम्नलिखित रूप में होगा -
    - (i) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपिशष्टों का निपटान भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ.
       908(अ), तारीख 25 सितंबर, 2000 नगरपालिक ठोस अपिशष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम,
       2000 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा;
    - (ii) स्थानीय प्राधिकरण जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय संघटकों में ठोस अपशिष्टों के संपृथक्कन के लिए योजनाएं तैयार करेंगे ;
    - (iii) जैव निम्नीकरणीय सामग्री को अधिमानतः खाद बनाकर या कृमि खेती के माध्यम से पुनःचक्रित किया जाएगा :
    - (iv) अकार्बनिक सामग्री का निपटान पारिस्थितिक संवेदी जोन के बाहर पहचान किए गए स्थल पर किसी पर्यावरणीय स्वीकृत रीति में होगा और पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों को जलाना या भष्मीकरण अनुज्ञात नहीं होगा।
- (10) **जैव चिकित्सीय अपशिष्ट**—पारिस्थितिक संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के तत्कालीन द्वारा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.का.आ.630 (अ) तारीख 20 जुलाई, 1998 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 1998 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।
- (11) **यानीय परिवहन**—परिवहन की यानीय गतिविधि प्राणीयों के अनुकूल रीति से विनियमित की जाएगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध सम्मिलित किए जाएंगे और जब तक ऐसी आंचलिक महायोजना राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा तैयार और अनुमोदित नहीं किया जाता है। मानीटरी समिति

सुंसगत अधिनियमों और उसके अधीन बनाए गए नियमों नियमों और विनियमों के अधीन यानीय गतिविधियों के अनुपालन को मानीटर करेगी।

4. पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों की सूची—पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई तालिका में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :--

## सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टीका-टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
प्रतिसिद्ध	क्रियाकलाप :	
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर की खदान	(क) सभी प्रकार के खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की
	और उनको तोड़ने की इकाइयां ।	खानें और उनको तोड़ने की इकाइयां वास्तविक स्थानीय
		निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं के सिवाय नहीं होंगी ;
		(ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट
		याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन
		थिरुमूलपाद बनाम भारत सरकार के मामले में आदेश तारीख
		4.8.2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा
		फाउंडेशन बनाम भारत सरकार के मामले में तारीख
		21.04.2014 के अंतरिम आदेश के अनुसरण में सर्वदा प्रचालन
		होगा ।
2.	आरा मशीनों की स्थापना।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा
		मशीनों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
3.	जल या वायु या मृदा या ध्वनि	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नए और विद्यमान प्रदूषण
	प्रदूषण कारित करने वाले उद्योगों की	कारित करने वाले का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
4	स्थापना। किसी परिसंकटमय पदार्थों का	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के
4.	उपयोग या उत्पादन।	सिवाय) ।
5.	होटल और विश्राम स्थलों का	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर होटलों और विश्राम स्थलों
	वाणिज्यिक स्थापन।	जैसे विद्यमान वाणिज्यिक स्थापनों के किसी नवीकरण या
		विस्तार की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी ।
6.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के
	उपयोग।	सिवाय)।
7.	नए बृहत जल विद्युत परियोजना का	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के
	स्थापना। पर्यटन से संबंधित क्रियाकलाप जैसे	सिवाय) । लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के
8.	रोप-वे, गर्म वायु गुबारों आदि द्वारा	लागू विवया के अनुसार प्रातापद्ध (अन्यया उपवावत के सिवाय)।
	अभयारण्य क्षेत्र के ऊपर से उड़ना	,
	जैसे क्रियाकलाप करना।	
9.	प्लास्टिक थैलों का उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के
		सिवाय)।

10.	प्राकृतिक जल निकायों या भू-क्षेत्र में	I _ ''
	अनपचारित बहिस्रार्व और ठोस	सिवाय) ।
	अपशिष्टों का निस्तारण। सन्निर्माण क्रियाकलाप ।	
11.	सिन्नमाण क्रियाकलाप ।	पैरा 3 के उप पैरा (1) सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित स्थानीय
		निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं के सिवाय पारिस्थितिक
		संवेदी जोन की सीमाओं के भीतर किसी प्रकार के नए सन्निर्माण
		की अनुमति नहीं दी जाएगी । प्रदूषण कारित न करने वाले लघु उद्योगों से संबंधित सन्निर्माण क्रियाकलाप को विनियमित किया
		जाएगा और न्यूनतम पर रखा जाएगा ।
विनियमि	्र ति क्रियाकलाप	वार्या आर प्रुपताम १८ (जा मार्या ।
12	वृक्षों की कटाई।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना
'-	`	., -
		वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में किंही
		वृक्षों की कटाई नहीं होगी।
		(ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केद्रीय या राज्य अधिनियम या
		उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार
		विनियमित होगी । लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
13.	कृषि प्रणालियों में आमूल परिवर्तन।	
14.	वाणिज्यिक जल संसाधन जिसके	(क) भूमि के अधिभोगी के वास्तविक कृषि और घरेलू खपत के
	अंतर्गत भू-जल संचयन भी है।	लिए जल का निष्कर्षण सतही और भूमिगत जल अनुज्ञात होगा ।
		(ख) औद्योगिक, वाणिज्यिक उपयोग के लिए सतही और भूमिगत
		जल का निष्कर्षण के लिए संबंधित विनियामक प्राधिकरण पूर्व
		लिखित अनुज्ञा अपेक्षित होगी जिसके अंतर्गत कितने परिणाम में
		वह निष्कर्षण करेगा, भी है ।
		(ग) सतही या भूजल का विक्रय अनुज्ञात नहीं होगा ।
		(घ) जल के संदूषण या प्रदूषण, जिसके अंतर्गत कृषि भी है, को
		रोकने के लिए सभी उपाय किए जाएंगे ।
		, , , , , ,
15.	विद्युत केबलों, परेषण लाइनों और	भूमिगत केबलों को अनुज्ञात किया जा सकेगा ।
	दूरसंचार टावरों का परिनिर्माण।	
16.	होटलों और लॉज के विद्यमान	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
	परिसरों में बाड लगाना।	·
17.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और	उचित पर्यावरण समाघात निर्धारण और न्यूनिकरण उपाय यथा
	उन्हें सुदृढ करना तथा नई सड़कों का	लागू अनुसार होंगे ।
4.0	संनिर्माण।	
18.	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन ।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित
19.	विदेशी प्रजातियों को लाना ।	होंगे । लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
20.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
	संरक्षण।	पार्चा वाच्या व अवारा विरामाचार हारा ।
21.	वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंग	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
1	,	

22.	वायु (जिसके अन्तर्गत ध्वनि है) और यानीय प्रदूषण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
23.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्स्नाव का निस्सारण।	उपचारित बहिर्स्नाव के पुनर्चव्रण को प्रोत्साहित करना और अबमल या ठोस अपशिष्टों के निपटान के लिए विद्यमान विनियमों का अनुपालन करना होगा।
24.	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग।	और सेवा उद्योग, कृषि उद्यान, कृषि या कृषि आधारित देशीय माल से औद्योगिक उत्पादों का उत्पादन उद्योग और जो पर्यावरण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालते हैं।
25.	वन उत्पादों और गैर कास्ठ वन उत्पादों का संग्रहण।	
26.	सुरक्षा बलों के कैम्प।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
27.	नए काष्ठ आधारित उद्योग।	पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा के भीतर नए काष्ठ आधारित उद्योगों की स्थापना को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परंतु विद्यमान काष्ठ आधारित उद्योग तब तक जारी रह सकेंगे जब तक तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन उन्हें प्रतिषिद्ध नहीं कर दिया जाता है।
28.	पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों के लिए कनात, लकड़ी के घर आदि जैसे पर्यटकों के अस्थायी अधिभोग के लिए पारिस्थितिक अनुकूल कुटी।	
	अ	नुमत क्रियाकलाप
29.	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ पशुपालन। पशुपालन कृषि और मछली पालन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
30.	वर्षा जल संचयन।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाए ।
31.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाए ।
32.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाए ।
33.	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग।	लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होंगे ।
34.	वानस्पतिक घेराबन्दी।	लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होंगे
35.	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर आदि भी हैं।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाए ।

5. **मानीटरी समिति**- (1) केंद्रीय सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रभावी मानीटरी के लिए एक मानीटरी समिति का गठन करेगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात्:-

(क) मुख्य वन परिरक्षक (वन्यजीव), पंजाब सरकार अध्यक्ष

(ख) ग्रामीण विकास विभाग और पंचायत, पंजाब सरकार का प्रतिनिधि सदस्य

(ग) क्षेत्रीय कार्यालय, पंजाब राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सदस्य

(घ) पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संघटन का पंजाब सरकार द्वारा नामित सदस्य एक प्रत्येक मामले में एक वर्ष की अवधि के लिए, प्रतिनिधि

(च) पंजाब सरकार द्वारा पारिस्थितिक एवं पर्यावरण के क्षेत्र का प्रत्येक मामले में एक वर्ष की सदस्य अवधि के लिए, एक विशेषज्ञ

(छ) कृषि विभाग, पंजाब सरकार का प्रतिनिधि सदस्य

(ज) जिला कलेक्टर, फिरोजपुर का प्रतिनिधि सदस्य

(झ) संभागीय वन अधिकारी (पी. ए. का भारसाधक) सदस्य-सचिव

## 6. निर्देश शर्ते -

- (1) मानिटरी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी।
- (2) पारिस्थितिक संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में के अधीन सिम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित व मानीटरी सिमिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी।
- (3) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा।
- (4) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध कलक्टर या संरक्षित क्षेत्र का प्रभारी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 (1986 का 29) के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा।
- (5) मानीटरी सिमिति मुद्दों के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।
- (6) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक की अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट **उपाबंध** II में उपबंधित रूप विधान के अनुसार उक्त वर्ष के 30 जून तक राज्य के मुख्य वन्य जीव वार्डन को प्रस्तुत करेगी।
- (7) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे।


- 7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभाव देने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगे।
- 8. इस अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन होंगे।

[फा. सं. 25/1/2015-ईएसजेड/आरई]

डॉ. टी. चांदनी, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध – 1

# प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन का मानचित्र



उपाबंध-॥

# की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का प्रोफार्मा - पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति।

- 1. बैठकों की संख्या और तारीख
- 2. बैठकों का कार्यवृत : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें। बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबद्ध करें।
- 3. जोनल मास्टर प्लान की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन मास्टर प्लान भी है
- 4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश ब्यौरों को उपाबंध के रूप में संलग्न किया जा सकेगा।
- 5. ईआईए अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली क्रियाकलापों की संविक्षा के मामलों का सारांश।
- ईआईए के अधीन न आने वाली क्रियाकलापों की संविक्षा के मामलों का सारांश।
   ब्यौरों को उपाबंध के रूप में संलग्न किया जा सकेगा।
- 7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश
- 8. महत्ता का कोई अन्य विषय।

# MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE NOTIFICATION

New Delhi, the 16th November, 2015

**S.O.** 3103(E).—The following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jor Bagh Road, Aliganj, New Delhi-110 003, or send it to the at e-mail address of the Ministry at:- esz-mef@nic.in

## **Draft Notification**

Whereas, Harike Wildlife Sanctuary is a largest wetland in northern India in Tarn Taran District of Punjab State and this wetland-cum-wildlife sanctuary is located about 55 kilometres from Amritsar city, the area of which is 86 square kilometres that falls in District Tarn Taran, Ferozepur and Kapurthala

And Whereas. This Sanctuary is also Accorded The Status Of Ramsar Site in 1990;

And Whereas, the above specified protected area is mostly a water based area with 14 aquatic Taxa and 24 terrestrial species and the main water based species are Najas, Hydrilla, Ipomoea, Azolla sp., Potamegeton, Vallisneria, etc.;

AND WHEREAS, the area is known to support 16 Taxa (72 species) of fishes, 6 Taxa of frogs and toads, 7 species of turtles (including International Union for Conservation of Nature Testudines turtles), 13 species of mammals (including smooth Indian Otter and Indus River Dolphin), 391 species (59 percent migratory) of birds and 4 species of snakes;

And Whereas, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of which are specified in paragraph 1 of this notification around the protected area of the Harike Wildlife Sanctuary as Eco-sensitive Zone from ecological and environmental point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

Now Therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1), clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies the area to an extent upto 100 metres all around the boundary of the Harike Wildlife Sanctuary in the State of Punjab as the Eco-sensitive Zone (hereinafter referred to as the Eco-sensitive Zone), details of which are as under, namely:-

- 1. **Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone.-**(1) The extent of Eco-sensitive Zone is an area to an extent of 100 meters all around the boundary of the Harike Wildlife Sanctuary comprising an area of 393.44 hectares approximately.
- (2) The Eco-sensitive Zone is bounded by 31°9'13.974"N latitude and 75°2'25.773"E longitude towards East (Reference point No.10 of map); 31°11'25.659"N latitude and 74°58'59.485"E longitude towards west (Reference point No.4 of map); 31°12'38.538"N latitude and 75°1'11.464"E longitude towards north (Reference point No.3 of map) and 31°6'46.514"N latitude and 75°0'34.031"E longitude towards south(Reference point No.7 of map).
- (3) The map showing the boundaries of Eco-sensitive Zone together with its latitudes and longitudes is appended as **Annexure I**.
- (4) The villages whose area or parts thereof falling within the Eco-sensitive Zone are, Ruknewala, Bhootiwala, Maujgarh, Makhu, Rasulpur, Mandsinghpura, Gudde, Jand, Harike and Kirrian.

- **Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone.-**(1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of final notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification.
- (2) The Zonal Master Plan shall be approved by the Competent Authority in the State Government.
- (3) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.
- (4) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with all concerned State Departments, namely:-
  - (i) Environment;
  - (ii) Forest;
  - (iii) Urban Development;
  - (iv) Tourism;
  - (v) Municipal;
  - (vi) Revenue;
  - (vii) Agriculture; and
  - (viii) Punjab State Pollution Control Board,

for integrating environmental and ecological considerations into it.

- (5) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.
- (6) The Zonal Master plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.
- (7) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, village and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies.
- (8) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone so as to ensure Eco-friendly development and livelihood security of local communities.
- 3. **Measures to be taken by State Government.-**The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) **Land use.-** Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or industrial related development activities:

Provided that the conversion of agricultural lands within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the State Government, to meet the residential needs of local residents, and for the activities listed against serial numbers 24, 28, 30 and 35 in column (2) of the Table in paragraph 4, namely:-

- (i) Small scale industries not causing pollution,
- (ii) Eco-friendly cottages for temporary occupation of tourists such as tents, wooden houses, etc. for Eco-friendly tourism activities;
- (iii) Rainwater harvesting, and
- (iv) Cottage industries including village artisans, etc.,

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or any other law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of the Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph:

Provided also that there shall be no consequential reduction in green area, such as forest area and agricultural area and efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas.

- (2) **Natural Springs.-** The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner so as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.
- (3) **Tourism.-**(a) The activity relating to tourism within the Eco-sensitive Zone shall be as per Tourism Master Plan, which shall form part of the Zonal Master Plan.
- (b) The Tourism Master Plan shall be prepared by the Department of Tourism, Government of Punjab in consultation with Department of Revenue and Forests, Government of Punjab.

- (c) The activity of tourism shall be regulated as under, namely.-
- (i) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the eco-tourism guidelines issued by the National Tiger Conservation Authority, Ministry of Environment, Forests and Climate Change (as amended from time to time) *mutatis mutandis* with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development and based on carrying capacity study of the Eco-sensitive Zone;
- (ii) new construction of hotels and resorts shall not be permitted within the Eco-sensitive Zone;
- (iii) till the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee.
- (4) **Natural Heritage.-** All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and preserved and plan shall be drawn up for their protection and conservation, within six months from the date of publication of this notification and such plan shall form part of the Zonal Master Plan.
- (5) **Man-made heritage sites.-** Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be indentified in the Eco-sensitive Zone and plans for their conservation shall be prepared within six months from the date of publication of this notification and incorporated in the Zonal Master Plan.
- (6) **Noise pollution.-** The Environment Department of the State Government shall draw up guidelines and regulations for the control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981(14 of 1981) and the rules made thereunder.
- (7) **Air pollution.-** The Environment Department of the State Government shall draw up guidelines and regulations for the control of air pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.
- (8) **Discharge of effluents.-** The discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974(6 of 1974) and the rules made thereunder.
- (9) **Solid wastes.** Disposal of solid wastes shall be as under.- (i) the solid waste disposal in Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Municipal Solid Waste (Management and Handling) Rules, 2000 published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment, Forests and Climate Change *vide* notification number S.O. 908 (E), dated the 25<sup>th</sup> September 2000 as amended from time to time;
- (ii) the local authorities shall draw up plans for the segregation of solid wastes into biodegradable and non-biodegradable components;

- (iii) the biodegradable material shall be recycled preferably through composting or vermiculture;
- (iv) the inorganic material shall be disposed of in an environmentally acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone and no burning or incineration of solid wastes shall be permitted in the Eco-sensitive Zone.
- (10) **Bio-medical waste.-** The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Bio-Medical Waste (Management and Handling) Rules, 1998 published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests *vide* Notification number S.O. 630(E), dated the 20<sup>th</sup> July, 1998 as amended from time to time.
- (11) **Vehicular traffic.** The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal master plan is prepared and approved by the Ministry of Environment, Forests and Climate Change, Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.
- 4. List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone.- All activities in the Eco-sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made thereunder and shall be regulated in the manner specified in the Table below, namely:—

**TABLE** 

Sl. No.	Activity	Remarks
A.	Prohibited Activities:	
1.	Commercial Mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited except for the domestic needs of <i>bona fide</i> local residents.  (b) The mining operations shall strictly be in accordance to the orders of the Hon'ble Supreme Court dated 04 <sup>th</sup> August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. Union of India in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated 21 <sup>st</sup> April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. Union of India in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting up of saw mills	No new and expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
3.	Setting up of industries causing water or air or soil or noise pollution.	No new or expansion of existing polluting industries shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
4.	Use or production of any hazardous substances	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
5.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new or expansion of existing commercial establishments such as hotels and resorts shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
6.	Commercial use of firewood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
7.	Establishment of new major hydroelectric projects.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
8.	Undertaking activities related to tourism like over-flying the sanctuary area by hot-air balloons, etc.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
9.	Uses of plastic carry bags.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.

10.	Discharge of untreated effluents and solid waste in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
11.	Construction activities	No new construction of any kind shall be permitted within the Eco-sensitive Zone, except for the domestic needs of local residents including the activities listed in sub-paragraph (1) of paragraph 3. In case of the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum.
	Regulated A	ctivities:
12.	Felling of trees.	<ul> <li>(a) There shall be no felling of trees on the forest land or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government.</li> <li>(b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made there under.</li> </ul>
13.	Drastic change of agriculture system	Regulated under applicable laws.
14.	Commercial water resources including ground water harvesting.	(a)The extraction of surface water and ground water shall be permitted only for <i>bona fide</i> agricultural use and domestic consumption of the occupier of the land. (b) The extraction of surface water and ground water for industrial or commercial use including the amount that can be extracted, shall require prior written permission from the concerned Regulatory Authority. (c) No sale of surface water or ground water shall be permitted. (d) Steps shall be taken to prevent contamination or pollution of water from any source including agriculture.
15.	Erection of electrical cables and	Promote underground cabling.
	telecommunication towers.	
16.	Fencing of existing premises of hotels and lodges.	Regulated under applicable laws.
17.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads	Shall be done with proper Environment Impact Assessment and mitigation measures, as applicable
18.	Movement of vehicular traffic at night	Regulated for commercial purpose, under applicable laws.
19.	Introduction of exotic species.	Regulated under applicable laws.
20.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated under applicable laws.
21. 22.	Commercial Sign boards and hoardings.  Air (including noise) and vehicular pollution	Regulated under applicable laws.
23.	Discharge of treated effluents in natural water bodies or land area.	Regulated under applicable laws.  Recycling of treated effluent shall be encouraged and for disposal of sludge or solid wastes, the existing regulations shall be followed.
24.	Small scale industries not causing pollution.	Non-polluting, non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agrobased industry producing products from indigenous goods from the Eco-sensitive Zone which do not cause any adverse impact on environment shall be permitted.
25.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	Regulated under applicable laws.
26.	Security Forces Camp	Regulated under applicable laws.
27.	New wood based industry.	No establishment of new wood based industry shall be permitted within the limits of Eco-sensitive Zone. Provided that new wood based industry may be set up in the Eco-sensitive using 100 percent imported wood stock.

28.	Eco-friendly cottages for temporary occupation	Regulated under applicable laws.		
	of tourists such as tents, wooden houses, etc. for			
	Eco-friendly tourism activities			
	Permitted Activities:			
29.	Ongoing agriculture and horticulture practices by	Permitted under applicable laws.		
	local communities along with dairies, dairy			
	farming and fisheries.			
30.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.		
31.	Organic farming.	Shall be actively promoted.		
32.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.		
33.	Use of renewable energy sources	Permitted under applicable laws.		
34.	Vegetative fencing	Permitted under applicable laws.		
35.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.		

- 5. **Monitoring Committee.-** (1) The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, for effective monitoring of the Eco-sensitive Zone, which shall comprise of the following namely:-
- (a) The Chief Conservator of Forests (Wildlife), Government of Punjab Chairman
- (b) Representative Department of Rural Development and Panchayat, Government of Punjab-Member;
- (c) Regional Office, Punjab State Pollution Control Board-Member;
- (d) One representative of Non-governmental Organizations' working in the field of environment to be nominated by the Government of Punjab for a term of one year in each case– Member;
- (e) One expert in the area of ecology and environment to be nominated by the Government of Punjab for a term of one year in each case- Member
- (f) Representative Department of Rural Development and Housing Department, Government of Punjab Member;
- (g) Representative of Agricultural, Government of Punjab Member;
- (h) Representative of District Collector of Firozepur- Member;
- (i) Divisional Forest Officer (In-charge of PA) Member Secretary.


#### 6. Terms of Reference:

- (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this Notification.
- (2) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E), dated the 14<sup>th</sup> September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.
- (3) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E), dated the 14<sup>th</sup> September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned Regulatory Authorities.
- (4) The Member Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Chief Conservator of Forests (Wildlife) shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.
- (5) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from Industry Associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.
- (6) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31<sup>st</sup> March of every year by 30<sup>th</sup> June of that year to the Chief Wild Life Warden of the State per proforma appended at Annexure II.
- (7) The Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.
- 7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.
- **8.** The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal.

[F. No. 25/1/2015-ESZ/RE]

ANNEXURE I

Map of Eco-sensitive Zone boundary of Harike Wildlife Sanctuary, Punjab together with its latitudes and longitude of extremes and extent.



ANNEXURE II

## Proforma of Action Taken Report:- Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-

- 1. Number and date of Meetings
- 2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attached Minutes of the meeting on separate Annexure.
- 3. Status of preparation of Zonal master Plan including Tourism master Plan.
- 4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record.
  - Details may be attached as Annexure
- Summary of cases scrutinized for activities covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006.
   Details may be attached as separate Annexure.
- 6. Summary of case scrutinized for activities not covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006.
  - Details may be attached as separate Annexure.
- 7. Summary of complaints ledged under Section 19 of Environment (Protection) Act, 1986.
- 8. Any other matter of importance.